



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या782/2014जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,
राजस्थान वृत्त-द्वितीय,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.02.2017	<p align="center">खण्डपीठ राजीव चौधरी-सदस्य के.एल. जैन-सदस्य</p> <p>अपीलार्थी फर्म द्वारा उक्त अपील को विद्झा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो आज दिनांक 15.02.2017 को प्राप्त हुआ, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी New Amnesty Scheme-2016 की अधिसूचना का लाभ प्राप्त करना चाहता है व यह अपील आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः विद्झा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त अपील जरिये विद्झा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।</p> <p>विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा ने प्रस्तुत अपील को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी फर्म की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर हस्तगत अपील विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 782/2014/जयपुर जरिये विद्झावल (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश/निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> </div>	